







फार्म III {विनियम 7(1) D(d) देखें} Form III {see Reglation 7(1) D(d)}

MSC-F6.4-18

## भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

## LICENCE FOR THE SERVICE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

601-ए/A, कनैक्टस टॉवर/Konnectus Tower-1, छठी मंजिल/6th Floor, डीएमआरसी बिल्डिंग/DMRC Building, भवभूति मार्ग/Bhavbhuti Marg, नई दिल्ली/New Delhi-110002

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/एसक्यूएमएस/एल – 9000035.3 Licence No. CRO/SQMS/L- 9000035.3

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby **recertifies** to

मै : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश

M/s U P Housing & Development Board 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow – 226 001, Uttar Pradesh

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रॉ) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आई एस 15700:2018 के अनुरूप सेवा गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Service Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Service Quality Management Systems in accordance with

## IS 15700:2018

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत पुनिरिक्षित किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरों को 3 नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **recertified** subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 09 सितंबर 2022 से 27 मई 2025 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार पुनरिक्षित किया जा सकेगा ।

This licence shall be valid from 09 Sep 2022 to 27 May 2025 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2022 के सितंबर माह के तेरहवां दिन हस्ताक्षरित एवं मुहराँकित Signed, Sealed and dated this Thirteenth day of September 2022

> (Dr R K Tyagi)
> Deputy Director General (Central) भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
> For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Last certification expiry date 27 May 2022

Certification audit Date 22,23 (FN) & 24 Aug 2022

Next Recertification Due Date 27 May 2025

